एडिटोरियल

(संग्रह)

फरवरी भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- युवा और महात्मा गांधी 5
- स्वतंत्रता का अधिकार 6
- डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 8

आर्थिक घटनाक्रम **10**

- बाँध सुरक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ 10
- राजकोषीय सक्रियता 11
- अवसंरचना विकास और राजकोषीय नीति 13

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **16**

- COVID-19 और भारत-अफ्रीका साझेदारी 16
- भारत-ताइवान औपचारिक राजनयिक संबंधों का महत्त्व 17
- म्याँमार का सैन्य तख्तापलट 19
- भारत-म्याँमार संबंध 22

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **25**

- डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ 25
- कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और प्रौद्योगिकी 26
- चमोली फ्लैश फ्लड 29

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **29**

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

युवा और महात्मा गांधी

संदर्भ:

प्रतिवर्ष शहीद दिवस के अवसर पर भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में लोग महात्मा गांधी के त्याग को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अहिंसा के आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता के अलावा जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठने की आवश्यकता आदि कुछ ऐसे प्रमुख बुनियादी मूल्य हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने आत्मसात किया था।

हालाँकि तेज़ी से बढ़ते आधुनिकीकरण ने वैश्वीकरण के साथ मिलकर हमारी जीवनशैली और विशेष रूप से पिछले एक दशक में युवाओं के जीवन में व्यापक बदलाव किया है।

इसके अतिरिक्त व्यापक जनसांख्यिकीय परिवर्तन, राजनीतिक अवनति, बढ़ती बेरोज़गारी और अत्यधिक बाज़ार उन्मुख अर्थव्यवस्था आदि ने नई पीढ़ी के लिये जीवन को बहुत जटिल बना दिया है।

आधुनिक भारत के युवाओं को इन मुद्दों से निपटने में सहायता प्रदान करने और उन्हें देश-निर्माण के प्रति अधिक विवेकशील तथा सक्रिय भूमिका निभाने के लिये उनमें गांधीवादी मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में युवाओं और आधुनिक जीवनशैली से संबंधित मुद्दे:

- समाज में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा: आज का युवा असहिष्णुता, व्यग्रता और गलत धारणाओं का शिकार है, ये कारक मिलकर उनमें से अधिकांश को हिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं।
  - यह स्थिति तब और भी खराब हो जाती है जब एक आदर्श जीवनशैली प्राप्त करने की अपेक्षाओं का मानक काफी बढ़ जाता है परंतु उनके अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त हो पाते हैं।
- भौतिकतावाद के कारण सुखवादी जीवनशैली को बढ़ावा: वर्तमान में समाज में भौतिकवादी प्रवृत्ति की वृद्धि देखी जा रही है, यह प्रवृत्ति लोगों को भौतिक दुनिया की अधिक-से-अधिक वस्तुओं की खोज करने के लिये विवश करती है। यह रवैया आगे चलकर सुखवादी (Hedonism) विचारधारा को बढ़ावा देता है।
  - एक सुखवादी किसी भी तर्क, औचित्य या वस्तुओं की आवश्यकता-आधारित अभिवृद्धि का अनुसरण नहीं करता है।
- शिक्षा विषमता: आज की युवा पीढ़ी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का शिकार है जो उसे बाज़ार के योग्य मानकों पर प्रमाणित होने की परिकल्पना करती है।
  - हालाँकि इसने सार्वजनिक और निजी संस्थानों के बीच एक द्विभाजन पैदा किया, जिसके कारण युवाओं में शिक्षा तथा बेरोज़गारी के संदर्भ में व्यापक असमानता को बढ़ावा मिला है।
- रोज़गार का अभाव: रोज़गार के अवसरों की कमी हमारे देश के युवाओं के लिये सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है। वर्तमान में भारतीय रोज़गार बाज़ार देश में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या के साथ गति बनाए रखने में असमर्थ रहा है।
  - इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मौजूदा रोज़गार बाज़ार ग्रामीण-आधारित रोज़गार से दूर जा रहा है, बल्कि अधिकांश नौकरी तलाशने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही मौजूद हैं।

वर्तमान समय में युवाओं के लिये गांधीवादी विचारों का महत्त्व:

- असहिष्णुता और हिंसा का सामना करना: असहिष्णुता और हिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्य, सत्याग्रह और शांति को सफलतापूर्वक अपना हथियार बनाया।
  - इन आदर्शों ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला सहित दुनिया भर के कई महापुरुषों को प्रेरित किया।
  - अत: भारत के युवाओं को महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिये और यह सीखना चाहिये कि असहिष्णुता तथा हिंसा से शांतिपूर्वक कैसी निपटा जा सकता है।

नोट :

- निस्वार्थ राष्ट्रवाद: आज के युवाओं को पूरे मनोयोग से स्वयं को देश की सेवा में अर्पित करते हुए भारत की सफलता की कहानी लिखने में अपना योगदान देना चाहिये।
  - इस संदर्भ में महात्मा गांधी की यह टिप्पणी सबसे उपयुक्त है कि "स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में स्वयं को खो दें।"
  - देश के युवाओं को 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कौशल और नवोन्मेष के माध्यम से भारत के विकास का मार्ग प्रसस्त करना चाहिये।
- साध्य और साधन का सिद्धांत: गांधीवादी सूत्र वाक्य 'साधन, साध्य से अधिक महत्त्वपूर्ण होता है,' का अर्थ है कि हमें किसी भी कीमत पर साध्य को प्राप्त करने के बजाय इसके साधन पर भी ध्यान देना चाहिये।
  - गांधीजी के अनुसार, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना एक प्रकार की चोरी होगी। ऐसे में समाज में सुखवाद को नियंत्रित करने के लिये युवाओं को स्थितप्रज्ञ के गांधीवादी मूल्यों से पूरी तरह अवगत कराया जाना बहुत ही आवश्यक है।
  - गांधीजी के स्थितप्रज्ञ के अनुसार, इसमें तपस्या, वर्जना, वैराग्य, अध्यात्म, और त्याग की भावना शामिल है।
  - इस प्रकार स्थितप्रज्ञ का अनुसरण लोगों को भौतिकवाद या सुखवाद से अलग करने में सहायता कर सकता है
- शिक्षा का गांधीवादी मॉडल: गांधीजी का मानना था कि शिक्षा को मूल्य आधारित और जन-उन्मुख होना चाहिये।
  - उन्होंने हमेशा सच्ची, राष्ट्रीय शिक्षा की वकालत की। सच्ची शिक्षा एक संतुलित बुद्धि का विकास करती है, जो शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करती है।
  - शिक्षा का यह गांधीवादी सिद्धांत इस तरह की असमानता को भले ही पूरी तरह से नहीं, परंतु बहुत हद तक दूर करने में सहायता कर सकता है।
- आत्म-निर्भरता का विकास: वर्तमान में बेरोज़गारी की स्थिति को देखते हुए शिक्षा प्रणाली के पुनर्संयोजन की आवश्यकता है और इसके साथ ही राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर रोज़गार की मांग को पूरा करने के लिये देश में बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - इस संदर्भ में गांधीजी ने युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ज़ोर दिया था, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा और व्यावहारिक अनुभव आधारित ऐसा प्रशिक्षण देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - व्यावसायिक शिक्षा युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करेगी और यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी की समस्या को हल करने में सहायक होगी।
  - यह एक ऐसे भारत के निर्माण में सहायता करेगा जो पूर्णतया आत्मनिर्भर हो।

निष्कर्ष:

भारत का युवा जीवंत, ऊर्जावान और गतिशील होने के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है, बशर्ते वह सही मार्ग पर चलता रहे। ऐसे में भारतीय युवाओं को महात्मा गांधी के इन शब्दों को सदैव याद रखना चाहिये कि "आपकी मान्यताएँ आपके विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदत बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं, आपके मूल्य आपकी नियति बन जाती हैं।"

स्वतंत्रता का अधिकार

संदर्भ:

सरकार द्वारा जून माह में लागू किये गए तीन कृषि सुधार कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच तनाव अभी भी जारी है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के कई हिस्सों में किसानों के उग्र प्रदर्शन के बाद से सरकार ने विरोध प्रदर्शन स्थलों के निकट सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी है।

नोट :

हालाँकि इन विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा लगाए गए बैरीकेड्स की मात्रा/स्तर को लेकर देश तथा विदेशों से भी नागरिक समाज ने प्रश्न उठाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को रोकने के लिये भी सक्रिय प्रयास किये गए हैं। इसे विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के कुछ उदाहरणों में देखा जा सकता है, जैसे- लगभग नौ वरिष्ठ पत्रकारों पर राजद्रोह के कानून के तहत मामले दर्ज किये गए, एक युवा स्वतंत्र पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, समाचार पत्रों द्वारा चलाए जाने वाले कई सोशल मीडिया पेजों को ब्लॉक कर दिया गया और सरकार की तरफ से जारी एक कार्यकारी आदेश में कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनी, ट्विटर के कर्मचारियों को सरकार के आदेश का अनुपालन करने में विफलता के कारण गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त "स्वतंत्रता के अधिकार" पर हमले के रूप में देखा जा सकता है।

स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित मुद्दे:

- नॉन-ऑब्स्टांट (Non-Obstante) क्लॉज़: भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अध्याय के कई अन्य अनुच्छेदों की तरह अनुच्छेद 19 में भी एक नॉन-ऑब्स्टनट क्लॉज़ शामिल है, जिसका अर्थ है कि इन अधिकारों के अंतर्गत कानून और व्यवस्था, देश की संप्रभुता तथा सुरक्षा आदि से जुड़े मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
  - अनुच्छेद 19 (2) के तहत ये धाराएँ मुख्य रूप से भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थीं।
  - हालाँकि कई बार जब सरकार को नागरिकों की स्वतंत्रता और उचित प्रतिबंधों के बीच की बारीक रेखा को संतुलित करना पड़ता है, तो इससे परस्पर विरोधी स्थिति के साथ स्वतंत्रता के अधिकारों के लिये संकट खड़ा हो जाता है।
- व्यापक शब्दावली और अनदेखी: नागरिकों की स्वतंत्रता और तार्किक प्रतिबंधों (विशेष परिस्थितियों में) के बीच का द्वंद्व सरकार को आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह कानून के माध्यम से सत्ता का दुरुपयोग का अवसर प्रदान करता है।
  - इसे संज्ञान में लेते हुए 'केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, 1962' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देशद्रोह केवल उन गतिविधियों पर लागू होगा जिनमें सार्वजनिक शांति को बाधित करने या अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से हिंसा का सहारा लिया गया हो।
  - हालाँकि जैसा कि ये नियम और इसमें शामिल शब्द बहुत ही अस्पष्ट हैं, जो अक्सर राजद्रोह कानून के दुरुपयोग तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को बढ़ावा देता है।
- न्यायिक भेदभाव: हाल के वर्षों में न्यायिक प्रणाली तक पहुँच एक विलासिता की वस्तु के रूप में उभरी है, जिसके तहत अमीर और प्रभावशाली मीडिया हाउस तथा पत्रकारों को बहुत जल्दी ज़मानत मिल जाती है, जबकि स्वतंत्र पत्रकारों एवं छोटे मीडिया संस्थानों को ज़मानत मिलने में देरी हो जाती है या उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया जाता है।
- नया कानूनी हथियार: राजद्रोह और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपित होने के अलावा स्वतंत्र प्रेस को अब अधिक कठोर 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 2019' का भी सामना करना पड़ सकता है, जो उनके समक्ष संभावित रूप से अनिश्चितकाल के लिये बंदी बनाए जाने का जोखिम खड़ा करता है।
- धार्मिक पहलू: अनुच्छेद 19 (2) में भले ही उचित प्रतिबंध के आधार के रूप में धर्म का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है परंतु धार्मिक अपराध की राजनीति 'भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के लिये एक स्पष्ट खतरा है।
  - इसका एक उदाहरण हाल ही में रिलीज़ एक वेब सीरीज़ के विरुद्ध दर्ज मामलों के रूप में देखा जा सकता है, जिसके निर्माता और कुछ अभिनेताओं को कई बार माफी मांगने के बावजूद कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह:

- न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका: उच्च न्यायपालिका को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति मजिस्ट्रेट-वर्ग और पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिये अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग करना चाहिये।
- देशद्रोह के कानूनों में स्पष्टता लाना: देशद्रोह की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और सीमित किया जाना चाहिये, तथा इसके तहत केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता एवं देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- मीडिया नैतिकता का पालन: मीडिया के उत्तरदायित्वों के संदर्भ में यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि मीडिया सच्चाई, सटीकता, पारदर्शिता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और तटस्थता जैसे मुख्य सिद्धांतों का पालन करे।

नोट :

- संस्थागत ढाँचे को मज़बूत बनाना: मीडिया पर प्रभावी नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार के हस्तक्षेप की बजाय समाचार नियामक संस्थाओं (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया व न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन) को सशक्त किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

वर्तमान में व्यक्तिगत अधिकारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और समाज तथा राज्य की सामूहिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, इस उत्तरदायित्व का भार अकेले सरकार द्वारा ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों द्वारा उठाया जाना चाहिये जो इन अधिकारों से लाभान्वित होते हैं।

डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक

संदर्भ:

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस विधेयक का उद्देश्य लोगों की पहचान स्थापित करने के लिये डीएनए की जानकारी के उपयोग को विनियमित करना है। डीएनए प्रोफाइल का प्रयोग आपराधिक जाँच के मामलों में सुरक्षा एजेंसियों का मार्गदर्शन करने के लिये किया जाएगा।

समिति ने आपराधिक न्याय प्रणाली में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है परंतु इसके साथ ही समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकारों और विशेषकर निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिये।

हालाँकि डीएनए प्रौद्योगिकी अपराधों को सुलझाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता कर सकती है, परंतु सरकार को डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019 से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करना चाहिये।

डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक से जुड़े मुद्दे:

- निजता के अधिकार का उल्लंघन: इस विधेयक की आलोचना करते हुए तर्क दिया गया है कि यह मानवधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह विधेयक लोगों की गोपनीयता से भी समझौता कर सकता है।
  - साथ ही इस विधेयक के तहत डेटाबैंक में संग्रहीत डीएनए प्रोफाइल की गोपनीयता को सुरक्षित रखने की योजना पर भी प्रश्न उठाए गए हैं।
  - डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक उन विधेयकों की लंबी सूची में शामिल है, जो देश में एक मज़बूत डेटा सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किये जा रहे हैं।
- जटिल आपराधिक जाँच: आपराधिक जाँच के दौरान प्रभावी रूप से डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिये अपराध से संबंधित घटनास्थल की उचित जाँच, प्रशिक्षित और विश्वसनीय पुलिसिंग, सटीक विश्लेषण तथा अदालत में साक्ष्यों का उचित उपयोग आदि की आवश्यकता होगी।
  - इन आवश्यकताओं को पूरा किये बगैर एक डीएनए डेटाबेस आपराधिक न्याय प्रणाली में समस्याओं को हल करने के बजाय और अधिक बढ़ा देगा।
  - उदाहरण के लिये गलत मेल अथवा व्याख्या या साक्ष्य से छेड़-छाड़ का कारण न्याय के लिये संकट उत्पन्न हो सकता है।
- जैविक निगरानी: यह संभव है कि किसी अपराध स्थल से प्राप्त सभी डीएनए साक्ष्य अपराध से जुड़े लोगों के न हों।
  - वर्तमान में देश में सक्रिय प्रयोगशालाएँ डीएनए प्रोफाइलिंग की संपूर्ण आवश्यकता का मात्र 2-3% ही पूरा कर सकती हैं।
  - गौरतलब है कि राजीव सिंह बनाम बिहार राज्य (2011) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुचित तरीके से विश्लेषित डीएनए साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया था।
- वंचित वर्ग पर प्रभाव: भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में लंबे समय से व्याप्त प्रमुख त्रुटियों में से एक यह है कि इसमें पीड़ित और अभियुक्त (विशेष रूप से समाज के हाशिये पर रह रहे वर्गों के लिये) दोनों को सहायता प्रदान करने हेतु कानूनी सहायता प्रणाली (Legal Aid System) का अभाव रहा है।

नोट :

- कई अध्ययनों से पता चलता है कि आपराधिक मामलों के आरोपी अधिकांश लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं।
- यह चिंता तब और भी बढ़ सकती है जब अपराध को सिद्ध करने के लिये डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी एक परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

- जाति आधारित प्रोफाइल का दुरुपयोग: स्थायी समिति ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि डीएनए प्रोफाइल किसी व्यक्ति के बारे में अत्यंत संवेदनशील जानकारी को उजागर कर सकती है और इसलिये इसका उपयोग जाति/समुदाय आधारित प्रोफाइलिंग के लिये किया जा सकता है।

आगे की राह:

- गोपनीयता संरक्षण को प्राथमिकता देना: नागरिकों की गोपनीयता के संरक्षण का उत्तरदायित्व सरकार को दिया गया है। डीएनए के उपयोग के दौरान गोपनीयता संरक्षण का सबसे आसान विकल्प यह होगा कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को पहले ही लागू कर दिया जाए।
  - यह लोगों को उनके अधिकारों के संरक्षण के अभाव में भी कुछ राहत प्रदान करेगा।
  - यह विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार से जुड़े फैसले के बाद और भी महत्त्वपूर्ण हो गया है।
- स्वतंत्र नियामक की स्थापना: विधेयक में प्रस्तावित डीएनए नियामक बोर्ड अत्यधिक शक्तिशाली होने के बाद भी इसमें पर्याप्त पारदर्शिता या जवाबदेही की कमी है।
  - इसलिये प्रयोगशाला गुणवत्ता आश्वासन और अपराध स्थल परीक्षण दोनों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र फॉरेंसिक विज्ञान नियामक की नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिये।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: विचाराधीन कैदियों, अपराधियों, लापता तथा मृतक व्यक्तियों के डीएनए प्रोफाइलों के अनुक्रमण के लिये एक नई प्रणाली को अपनाने के साथ ही डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीक में पारदर्शिता बढ़ाने पर विचार करना और अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
- मानव और अवसंरचना आवश्यकताओं को संबोधित करना: इस तकनीक के प्रभावी और न्यायपूर्ण उपयोग के लिये आपराधिक न्यायिक प्रणाली से जुड़े अधिकारियों जैसे- पुलिस, वकील, मजिस्ट्रेट आदि को प्रशिक्षित तथा जागरूक करने की आवश्यकता होगी।
  - इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं की संख्या के साथ जुड़े बुनियादी ढाँचे के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

मालक सिंह बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1981) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि संदिग्धों की व्यापक निगरानी/सर्विलांस के बगैर संगठित अपराध से सफलतापूर्वक नहीं लड़ा जा सकता है। परंतु इस प्रकार का सर्विलांस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता।

इस संदर्भ में एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है जिससे इस तरह के प्रोफाइलिंग को मानवाधिकारों और संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

बाँध सुरक्षा: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (The United Nations University- UNU) द्वारा 'पुरानी होती जल अवसंरचनाएँ: एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम' नामक शीर्षक से प्रकशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक विश्व की अधिकांश आबादी 20वीं शताब्दी में बने हज़ारों बड़े बाँधों के अनुप्रवाह की दिशा में रह रही होगी। इनमें से बहुत से बाँध भारत में हैं और अपने निर्धारित जीवनकाल के अंतिम वर्षों या उससे भी पुराने होने के बावजूद उनका संचालन जरी है, जो जन-धन के लिये भारी जोखिम उत्पन्न करता है।

बाँधों के पुराने होने के प्रमुख संकेतों में बाँध की विफलता के मामलों में वृद्धि, बाँध की मरम्मत और रखरखाव की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि, जलाशय के अवसादन में वृद्धि और बाँध की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता में कमी आदि शामिल हैं।

बड़े बाँधों के निर्माण के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। देश में अब तक निर्मित कुल 5,200 से अधिक बड़े बाँधों में से लगभग 1,100 बड़े बाँध पहले ही 50 वर्ष की आयु तक पहुँच चुके हैं, और कुछ 120 वर्षों से अधिक पुराने हैं।

इसके अतिरिक्त सैकड़ों मध्यम तथा छोटे बाँधों के संदर्भ में यह जोखिम और भी चिंताजनक है क्योंकि इन बाँधों की शेल्फ लाइफ (Self Life) बड़े बाँधों की अपेक्षा कम होती है।

भारत के पुराने हो रहे बाँधों से जल सुरक्षा और किसानों की आय के प्रभावित होने के साथ ही बाढ़ के मामलों में भी वृद्धि की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। अत: इस संकट से निपटने हेतु तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

पुराने होते बाँधों की प्रमुख चुनौतियाँ और इससे संबंधित मुद्दे:

- जल संग्रहण क्षमता में गिरावट: बाँध जैसे-जैसे पुराने होते जाते हैं इनके जलाशयों में अवसादन के कारण अत्यधिक मिट्टी जमा होने लगती है। ऐसे में भारत के अधिकांश बाँधों की भंडारण क्षमता को वर्ष 1900 और 1950 के दशक के समान नहीं माना जा सकता है।
  - हालाँकि भारतीय बाँधों के जलाशयों की भंडारण क्षमता में पूर्वानुमानित दर से अधिक तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है। अगले कुछ ही दशकों में इन जलाशयों के विलुप्त होने की संभावना है।
  - वर्ष 2003 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के प्रतिष्ठित भाखड़ा बाँध में गाद जमा होने की दर पूर्व में अनुमानित दर की तुलना में 139.86% अधिक थी।
  - इस दर के चलते वर्तमान में भाखड़ा बाँध के मात्र 47 वर्षों तक कार्य करने की उम्मीद है, जो वस्तुत: पूर्व के 88 वर्षों के मूल अनुमान का आधा है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: बाढ़ और अन्य चरम पर्यावरणीय घटनाओं की आवृत्ति तथा गंभीरता में वृद्धि एक बाँध की अधिकतम क्षमता को प्रभावित कर सकती है एवं यह एक बाँध के पुराने होने की प्रक्रिया को तेज़ कर सकता है।
  - अत: यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि बाढ़ के मामलों में वृद्धि के साथ ही जलवायु परिवर्तन बाँधों के पुराने होने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है।
- संरचनात्मक रूप से कमज़ोर बाँध: जलाशय अवसादन पर हुए लगभग सभी वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में अधिकांश जलाशयों के निर्माण में अवसादन विज्ञान का पूरी तरह पालन नहीं किया गया है।
  - इसके साथ ही कोई भी भंडारण ढाँचा (कंक्रीट, ईंट या मिट्टी से बना) समय के साथ संरचनात्मक रूप से कमज़ोर हो सकता है। भारत में कई पुराने बाँधों के मामले में ऐसा ही हुआ है।
- सूचना का अभाव: समय के साथ बड़े बाँधों की भंडारण क्षमता का ह्रास बाँध की आयु के बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
  - हालाँकि भारतीय बाँधों के संदर्भ में इस जानकारी को बहुत ही सीमित स्तर पर प्रलेखित किया जाता है, जो देश में जल संकट की गंभीरता को सही ढंग से समझने के मामले में एक अंध बिंदु (Blindspot) के रूप में कार्य करता है।

नोट :

पुराने होते बाँधों के दुष्परिणाम:

- खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: जलाशयों में जब मिट्टी जमा होने लगती है, तो उस स्थिति में जल की आपूर्ति ठप हो जाती है। ऐसे में समय बीतने के साथ-साथ फसल क्षेत्र को प्राप्त होने वाले जल की मात्रा में कमी आनी शुरू हो सकती है।
  - इसके परिणामस्वरूप सकल सिंचित क्षेत्र का आकार सिकुड़ जाता है और यह क्षेत्र वर्षा अथवा भू-जल पर निर्भर हो जाता है जिसके कारण भू-जल के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा मिलता है।
- किसानों की आय पर प्रभाव: बाँधों की जल संग्रहण क्षमता में कमी के कारण सिंचाई की प्रक्रिया और फसल की पैदावार गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, ऐसे में पर्याप्त आवश्यक हस्तक्षेप के अभाव में किसानों की आय में भी भारी कमी आएगी।
  - इसके अतिरिक्त फसल की उपज और ऋण, फसल बीमा और निवेश के लिये जल की उपलब्धता एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- बाढ़ के मामलों में वृद्धि: बाँधों के जलाशयों में गाद जमा होने की उच्च दर इस तर्क को पुष्ट करती है कि देश में कई नदी बेसिनों के जलाशयों के लिये डिज़ाइन की गई बाढ़ नियंत्रण प्रणालियाँ पहले ही काफी हद तक नष्ट हो चुकी हैं, जिसके कारण बाँधों के अनुप्रवाह में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2020 में भरुच (गुजरात), वर्ष 2018 में केरल और वर्ष 2015 में चेन्नई की बाढ़ इसके कुछ उदाहरण हैं।

आगे की राह:

- वैश्विक सहयोग और जागरूकता: वर्तमान में पुरानी होती जल भंडारण अवसंरचनाओं के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करने और इस उभरते जोखिम से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- सूचना में पारदर्शिता: भारत के जल संगठनों को बेकार और खराब हो रहे बड़े बाँधों के संदर्भ में अधिक पारदर्शी होना चाहिये।
  - अत: बड़े बाँधों के जलाशयों की भंडारण क्षमता की वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
  - साथ ही इसके माध्यम से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर उपलब्ध जल के नियोजन और प्रबंधन के लिये देश की सिंचाई क्षमता का एक वास्तविक अनुमान तैयार किया जाना चाहिये।
- वैकल्पिक उपाय: जल के मुद्दे से जुड़े नीति निर्माताओं, योजनाकारों और जल प्रबंधकों को बड़ी भंडारण संरचनाओं की वैकल्पिक योजनाओं के बारे में विचार करना चाहिये। इसके संभावित विकल्पों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - विभिन्न क्षमताओं की जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिये साइटों का चयन करना।
  - मध्यम या लघु सिंचाई आधारित छोटी भंडारण संरचनाओं का निर्माण।
  - जलभृतों को रिचार्ज करने और भूमिगत जल को संरक्षित करने हेतु तंत्र की पहचान करना।

निष्कर्ष:

भारत को वर्ष 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी के लिये पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन करने, संधारणीय शहरों के निर्माण और सतत् विकास को सुनिश्चित करने हेतु 21वीं शताब्दी में ही जल संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस स्थिति को संबोधित करने के लिये सभी हितधारकों को साथ मिलकर आगे आना चाहिये।

राजकोषीय सक्रियता

संदर्भ:

कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिये सरकार ने कीन्सियन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण को अपनाते हुए मुक्त बाज़ार के माध्यम से व्यय बढ़ाने के बजाय सरकार द्वारा व्यय बढ़ाए जाने पर ज़ोर देने के संकेत दिये हैं। इस प्रकार बजट 2021 मुक्त बाज़ार के सिद्धांतों से चयनात्मक प्रस्थान (Selective Departure) है। इसमें सरकार द्वारा निजीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जैसी विधियों का प्रयोग करते हुए विकास को बढ़ाने हेतु व्यय में बढ़ोतरी के प्रयासों की बात की गई है। यह इस तथ्य से परिलक्षित हो सकता है कि वित्तमंत्री का भाषण वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक कम करने के लिये संकल्पित है और नए लक्ष्यों को औपचारिक रूप देने हेतु FRBM अधिनियम (FRBM अधिनियम के अनुसार, वर्तमान लक्ष्य 3%) में संशोधन का वादा करता है।

नोट :

इस प्रकार बजट वाशिंगटन सहमति (Washington Consensus) के प्रमुख सिद्धांतों में से महत्वपूर्ण प्रस्थान (Important Departure) को प्रदर्शित करता है। मुक्त बाज़ार की आर्थिक व्यवस्था वाले परिदृश्य में बाज़ार उन्मुख अर्थशास्त्र से प्रभावित दृष्टिकोण के आधार पर ही दुनिया के अधिकांश देशों में नीति-निर्माण किया जाता है। यद्यपि यह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता जैसी चिंताएँ भी शामिल हैं।

मुक्त बाज़ार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से प्रस्थान

- बजट 2021 के छह आधार स्तंभ हैं:
  1. स्वास्थ्य।
  2. भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा बुनियादी ढाँचा।
  3. आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास।
  4. मानव पूंजी।
  5. नवाचार, अनुसंधान एवं विकास।
  6. न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन को सुदृढ़ बनाना।
- इस प्रकार की व्यवस्था के लिये केंद्र सरकार से ही नहीं, बल्कि राज्यों और निजी क्षेत्र से भी वित्तपोषण में वृद्धि की आवश्यकता होगी। संबंधित प्रयास बजट के कुछ मुख्य अंशों में परिलक्षित होते हैं:
  - वर्तमान बजट आवंटन में 34.5% की वृद्धि करके 5.54 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया।
  - बजट में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिये बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी जिसके लिये एक नए बैड बैंक ढाँचे का प्रस्ताव किया गया है।
  - सरकार ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण हेतु एक विकास वित्त संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की है।

राजकोषीय रूढ़िवादी से प्रस्थान (Departure From Fiscal Orthodoxy) का कारण

कठोर अनुपालन (Rigid Adherence) से राजकोषीय समेकन

- बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण में राजकोषीय समेकन से चयनात्मक प्रस्थान के लिये आधार तैयार किया गया।
- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ओलिवियर ब्लैंचर्ड (Olivier Blanchard) का एक उद्धरण है, "यदि सरकार द्वारा भुगतान की गई ब्याज दर, विकास दर से कम है, तो सरकार की इंटरटेम्पोरल बजट बाधा (Intertemporal Budget Constraint) अवरोध नहीं बनती है।"
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान स्थिति में विस्तारक राजकोषीय नीति विकास को बढ़ावा देगी और भारत की विकास क्षमता को देखते हुए वर्ष 2030 तक ऋण स्थिरता के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

इंटरटेम्पोरल बजट बाधा

- "इंटरटेम्पोरल बजट बाधा" का अर्थ है कि वर्तमान के किसी भी ऋण को भविष्य के आय के स्रोत द्वारा ऑफसेट किया जाना चाहिये।
- ब्लैंचर्ड के अनुसार, यदि ब्याज दर-वृद्धि अंतर (Interest Rate-Growth Differential- IRGD) अर्थात् ब्याज दर और विकास दर के बीच अंतर, नकारात्मक हो जाता है, तो इंटरटेम्पोरल बजट बाधा लागू नहीं होती है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में चूँकि ब्याज दरें नकारात्मक होने की स्थिति में ब्लैंचर्ड की शर्त पूरी हो जाती है। इसलिये वहाँ की सरकारों को यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि घाटा सार्वजनिक ऋण को असंगत बना देगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा समर्थित विचार

- सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसे संस्थान वाशिंगटन सहमति के आधार पर ही कार्य करते हैं तथा सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात के 100% से अधिक की किसी भी वृद्धि पर सावधान करते हैं लेकिन दोनों संस्थान महामारी के मद्देनज़र राजकोषीय रूढ़िवाद से प्रस्थान पर ज़ोर दे रहे हैं।

नोट :

- इस प्रकार वे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वर्ष 2021 के अंत तक ऋण जीडीपी अनुपात बढ़कर 125% होने की संभावना के बाद भी घाटे को कम करके और अधिक खर्च करने पर ज़ोर दे रहे हैं।

प्रमुख मैक्रो इकॉनोमिक स्थिरता मुद्दे (Key Macroeconomic Stability Issues)

- मुद्रास्फीति में वृद्धि: राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा यह संभावना अधिक है कि राजकोषीय समेकन लक्ष्यों में बदलाव हेतु भारत के रिज़र्व बैंक के लिये निर्धारित 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता होगी। हालाँकि वर्तमान बजट में ऐसी किसी संभावना का उल्लेख नहीं किया गया है।
- कम कर-जीडीपी अनुपात: एक और चिंता यह है कि कर-जीडीपी अनुपात अपेक्षानुसार नहीं बढ़ रहा है जिससे वित्तीय प्रबंधन हेतु सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश, निजीकरण और गैर-कोर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से अधिक गैर-कर राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- विनिवेश, एक उच्च-जोखिम रणनीति: आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे में कमी के लिये सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री महत्वपूर्ण हो गई है। हालाँकि यह एक उच्च जोखिम वाली रणनीति है। विनिवेश से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य से कम हो गया है, उदाहरण के लिये एयर इंडिया की बिक्री, जो वर्ष 2018 में शुरू हुई थी, अभी भी जारी है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों और नौकरी के नुकसान के कारण सार्वजनिक संपत्ति बेचना राजनीतिक रूप से विवादास्पद है।
- रेटिंग का डाउनग्रेड: कुल सार्वजनिक ऋण के 10%-11% के स्तर को पार कर जाने पर रेटिंग एजेंसियाँ भारत को डाउनग्रेड कर देंगी। इस जोखिम को तब तक दूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि वित्तीय घाटे पर IMF-विश्व बैंक की रेखा को तय नहीं किया जाये।
- आत्मनिर्भर भारत के साथ संघर्ष: इसके अलावा बड़े पैमाने पर निजीकरण में पर्याप्त एफडीआई शामिल होती है। एफडीआई बढ़ने से घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी कंपनियों की उपस्थिति में वृद्धि होगी। हालाँकि, एफडीआई में वृद्धि का असर आत्मनिर्भर भारत पर नहीं होगा, जो कि अधिक आत्मनिर्भर और मज़बूत भारतीय कंपनियों को जोड़ता है।
- क्राउडिंग आउट इफेक्ट: सरकार एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपने खर्च को बढ़ाती है। इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है। बढ़ी हुई ब्याज दरें निजी निवेश निर्णयों को प्रभावित करती हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट के प्रभाव का एक उच्च परिमाण अर्थव्यवस्था में कम आय का कारण बन सकता है।

निष्कर्ष

राजकोषीय रूढ़िवादिता से प्रस्थान (Departure from Fiscal Orthodoxy) स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सरकार को इसे और टिकाऊ बनाने के तरीकों पर विचार करने की ज़रूरत है।

अवसंरचना विकास और राजकोषीय नीति

संदर्भ:

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था COVID-19 महामारी के कारण एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) के अनुमान के अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था में 7.7% की गिरावट देखी जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में बजट 2021 ने अवसंरचना विकास के लिये एक उचित प्रोत्साहन प्रदान किया है। हालाँकि बढ़ते राजकोषीय घाटे से जुड़े मुद्दों के अलावा भारत में अवसंरचना विकास की अपनी अलग समस्याएँ हैं।

अत: यदि भारत इस क्षेत्र में अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के साथ परिकल्पित राजकोषीय प्रोत्साहन के जोखिमों को कम करना चाहता है, तो ऐसे सुधारों को लागू करने की आवश्यकता है जो अवसंरचना विकास की बाधाओं को कम करते हैं।

प्रस्तावित बजट में शामिल कुछ महत्त्वपूर्ण पहलें:

- अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक विकास वित्तीय संस्थान (DFI) की स्थापना करना।
- पूंजी परिव्यय में वृद्धि से 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline- NIP) में केंद्र सरकार के योगदान में वृद्धि होगी।

नोट :

- राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline) की शुरुआत से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण पहल की घोषणा।
  - यह परिसंपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का प्रबंधन करने हेतु बैड बैंक (Bad Bank) स्थापित करने का प्रस्ताव।

अवसंरचना विकास से संबंधित मुद्दे:

- राजस्व गिरावट: नॉमिनल जीडीपी वृद्धि, प्रत्यक्ष कर उछाल और विनिवेश लक्ष्यों में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण राजस्व अनुमानों में गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- राज्यों के लिये कम निधि: केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसके अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों के लिये निर्धारित कर विचलन का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 42% से घटकर 41% हो गया है।
  - इसके अतिरिक्त हाल में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिये धन जुटाने हेतु उपकरों का सहारा लिया गया है, जो राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले करों के विभाज्य पूल के आकार को स्थायी रूप से छोटा कर देता है।
- बढ़ते राजकोषीय घाटे से संबंधित मुद्दे: भारत में अवसंरचना विकास को राजकोषीय प्रोत्साहन से वित्तपोषित किया जाएगा।
  - गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे की दर को जीडीपी के 4.5% तक ले जाने का संकेत दिया है।
  - हालाँकि बढ़ते राजकोषीय घाटे के कारण उच्च मुद्रास्फीति, क्राउडिंग आउट (Crowding Out), अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग में गिरावट आदि जैसी मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता से जुड़ी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
- बैड बैंक से जुड़े मुद्दे: एक महामारी-ग्रस्त अर्थव्यवस्था में गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिये खरीदारों को ढूँढना एक चुनौती होगी, विशेषकर जब सरकारें राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की चुनौती का सामना कर रही हैं।
  - इसके अतिरिक्त बैड बैंक की स्थापना का विचार सही मायनों में ऋण को एक सरकारी जेब (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों) से दूसरी जेब (बैड बैंक) में स्थानांतरित करने जैसा ही है।
- संरचनात्मक समस्याएँ: भूमि अधिग्रहण में देरी और मुकदमेबाज़ी के मुद्दों के कारण देश में वैश्विक मानकों की तुलना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दर बहुत धीमी है।
  - इसके अतिरिक्त भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंज़ूरी के मामले में विलंब, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे आदि अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कुछ प्रमुख कारण हैं।

आगे की राह:

- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: अवसंरचना विस्तार योजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पाइपलाइन से जुड़े अन्य हितधारक अपनी अपेक्षित भूमिका निभाते हुए पर्याप्त योगदान दे रहे हैं या नहीं।
  - इन हितधारकों में राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं।
  - इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की पुन: जाँच करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह के गठन की सिफारिश की है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन: राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन देश में अवसंरचना विकास को गति प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
  - हालाँकि अवसंरचना क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों, पीई फंड व निजी निवेशकों (स्थानीय और विदेशी दोनों) जैसे सभी हितधारकों से प्राप्त डेटा और जानकारी को एक मंच पर साझा करने की आवश्यकता है।

नोट :

- बैंकिंग सुधार: जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहता है, तब तक उनकी व्यावसायिकता में व्याप्त कमी बनी रहेगी और इसके कारण ऋण वितरण में विवेकपूर्ण मानदंडों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होगा।
  - ऐसे में एक बैड बैंक की स्थापना के बारे में चर्चा करने से पहले बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के उचित कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिये, जैसा कि इंद्रधनुष योजना के तहत परिकल्पित है।

निष्कर्ष:

केंद्रीय बजट 2021 में सरकार द्वारा प्रदान किया गया उच्च राजकोषीय प्रोत्साहन देश में अवसंरचना क्षेत्र के विकास हेतु सही दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। हालाँकि सरकार को उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता चिंताओं को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

COVID-19 और भारत-अफ्रीका साझेदारी

संदर्भ:

हाल के वर्षों में नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं, कूटनीतिक बैठकों में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग तथा एक जीवंत प्रवासी समुदाय के कारण भारत-अफ्रीका के संबंध और अधिक मज़बूत हुए हैं।

हालाँकि आर्थिक मोर्चे पर अफ्रीका को COVID-19 महामारी के दौरान व्यापार में गिरावट और बाज़ार की मांग व आपूर्ति के बाधित होने के कारण भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। COVID-19 महामारी के कारण स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उत्पन्न हुआ यह व्यवधान भारत-अफ्रीका संबंधों में हुई वर्षों की प्रगति के लिये बड़ा झटका हो सकता है।

ऐसे में इस कठिन समय के दौरान भारत को COVID-19 की तबाही से निपटने में अफ्रीकी देशों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये।

सहयोग के क्षेत्र:

- सामाजिक अवसंरचना: भारत और अफ्रीका के बीच अवसंरचना (शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि) के क्षेत्र में पहले से ही बहु-आयामी और व्यापक सहयोग रहा है तथा इसमें अफ्रीका की संस्थागत एवं व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाले राष्ट्रीय, राज्य और उप-व्यावसायिक व अन्य हितधारकों को शामिल किया जाता है।
- साझा भू-राजनीतिक हित: अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और अफ्रीका के साझा हित हैं, जैसे- संयुक्त राष्ट्र के सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, शांति व्यवस्था, साइबर सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा आदि।
- आर्थिक सहयोग: भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक सहयोग काफी व्यापक तथा स्थायी रहा है।
  - पिछले डेढ़ दशकों में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि के साथ इसमें काफी विविधता भी आई है।
  - वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 63.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जो भारत को इस महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाता है।
- COVID-19 का मुकाबला करने में सहयोग: भारत द्वारा 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग' (ITEC) कार्यक्रम के तहत अफ्रीका के साथ COVID-19 के प्रबंधन की रणनीतियाँ साझा की गई हैं। साथ ही इसके तहत भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अफ्रीका के स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिये विशेष वेबिनार आदि का आयोजन किया गया।
  - भारत द्वारा इस महामारी से निपटने हेतु अफ्रीकी देशों में डॉक्टरों और नर्सों को भेजने के अलावा उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) और पैरासिटामॉल जैसी अतिआवश्यक दवाओं की आपूर्ति की गई है।
- नव-उपनिवेशवाद का मुकाबला: अफ्रीकी महाद्वीप के साथ चीन का पुराना और गहरा संबंध रहा है परंतु हाल के वर्षों में इस महाद्वीप के देशों में चीनी हस्तक्षेप (विशेष रूप से सैन्य और आर्थिक क्षेत्र) में वृद्धि देखी गई है। हालाँकि COVID-19 महामारी के कारण चीन को विश्व भर में आलोचना का सामना करना पड़ा है।
  - हाल के वर्षों में चीन ने वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक उपनिवेशक के रूप में ख्याति प्राप्त की है, जो अपने देश की संस्थाओं को बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ दिलाने के लिये अल्प-विकसित देशों की पूंजी ज़रूरत का दोहन करता है।
  - अत: चीनी निवेश को नव-औपनिवेशिक के रूप में देखा जाता है, चूँकि यह धन, राजनीतिक प्रभाव, हार्ड-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और संसाधन निष्कर्षण पर केंद्रित है।
  - दूसरी ओर, भारत का ध्यान अफ्रीकी कुलीन वर्ग पर ही नहीं बल्कि आम अफ्रीकियों के साथ समान भागीदारी और स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है।

नोट :

- हालाँकि अफ्रीका, चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु वह चाहता है कि भारत इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने में भागीदार बने और एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य करे।

आगे की राह:

- वैक्सीन कूटनीति: "विश्व की फार्मेसी" के रूप में भारत के लिये COVID-19 के राहत प्रयासों में शामिल होना और वैक्सीन की न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास, सहयोग की दिशा में एक प्राथमिकता का क्षेत्र होगा तथा इसके बाद अफ्रीका की स्वास्थ्य प्रणालियों के व्यापक सुदृढ़ीकरण की योजना पर कार्य किया जाना चाहिये।
- आर्थिक सहयोग: अफ्रीका के भीतर एक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता हुई है, हालाँकि अभी इसे लागू नहीं किया गया है। यह समझौता भारत-अफ्रीका व्यापार में एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है।
  - इस संदर्भ में अफ्रीका में 1.3 बिलियन लोगों के लिये बाज़ार बनाए जाने से भारतीय निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने और आकारिक मितव्ययिता को मज़बूत करने का अवसर प्राप्त होगा।
  - यह रोज़गार के अवसरों के विकास, कौशल और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने के साथ मौजूदा ज्ञान के अंतर को पाटने में सहायता कर सकता है।
- अफ्रीका की आवाज़ बनना: भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के माध्यम से अफ्रीका को इस महामारी से उबरने में सहयोग प्रदान करने हेतु बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
  - भारत और अफ्रीका को COVID-19 महामारी से निपटने में सहयोग बढ़ाने तथा वैश्विक चुनौतियों जैसे - जलवायु परिवर्तन, उग्रवाद, आतंकवाद-नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और समुद्री सुरक्षा से निपटने हेतु अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुआयामी साझेदारी का विस्तार करने की योजना बनाने पर कार्य करना चाहिये।

निष्कर्ष:

हालाँकि यह तर्क दिया जा सकता है कि COVID-19 महामारी के संकट का भारत के सभी क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव देखने को मिला है और वर्तमान में इस चुनौती से निपटने के लिये देश पर एक बहुत बड़ा घरेलू दायित्व है, परंतु हमारी साझा चुनौती के इस महत्त्वपूर्ण मोड़ पर अफ्रीका के साथ साझेदारी करना भारत-अफ्रीका एकजुटता के समृद्ध इतिहास को अतिरिक्त मज़बूती प्रदान करेगा।

भारत-ताइवान औपचारिक राजनयिक संबंधों का महत्त्व

संदर्भ:

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से संबंधित वार्ताओं की विफलता के बाद लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के मध्य गतिरोध अभी भी बना हुआ है। इसके अतिरिक्त चीनी प्रशासन ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो राजनयिक समाधान के प्रयासों/संभावनाओं को खतरे में डाल सकते हैं।

हालाँकि भारत की सरकार और सशस्त्र बल यह स्पष्ट करते रहे हैं कि वे भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा के लिये हर संभव कदम उठाएंगे, इसके अतिरिक्त भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर भी उपलब्ध संभावित विकल्पों की तलाश करनी चाहिये।

विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने क्वाड सुरक्षा समूह (जिसे चीन "एशियाई नाटो" के रूप में संदर्भित करता है) में भागीदारी की इच्छा व्यक्त की है। हालाँकि चीन का मुकाबला करने के लिये एक औपचारिक सैन्य दल के रूप में इस समूह को स्थापित करने के मामले में क्वाड देशों में भारी अनिश्चितता देखी गई है।

अत: इस स्थिति में यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि चीन का मुकाबला करने के लिये भारत वैकल्पिक राजनयिक और सैन्य विकल्पों को खोजे। इसका एक व्यवहार्य विकल्प ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करना हो सकता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1949 में चियांग काई शेक (पूर्व चीनी राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष) लंबे समय से चल रहे चीनी गृह युद्ध में माओ ज़ेदोंग (माओ-त्से-तुंग) की जीत के बाद फॉर्मोसा द्वीप (ताइवान के द्वीप का पूर्व नाम) चले गए।

नोट :

- इसके बाद से वर्ष 1980 के दशक में चीन और ताइवान के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। इसी दौरान चीन द्वारा एक नया फार्मूला प्रस्तुत किया गया, जिसे "एक देश, दो प्रणाली" के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत यह निर्धारित किया गया कि यदि ताइवान चीन के साथ एकीकरण को स्वीकार करता है तो इसे व्यापक स्वायत्तता दी जाएगी।
- हालाँकि ताइवान द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था, परंतु चीन अपने सभी विदेशी मामलों के विचार-विमर्श में एक चीन नीति को प्रोत्साहित करता है।

मज़बूत इंडो-ताइवान संबंधों का औचित्य:

- निपुण कूटनीति: हालाँकि ताइवान (जिसे चीन अपना ही एक अलग हुआ प्रांत मानता है) के साथ भारत के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, परंतु भारत ने हाल के वर्षों में ताइवान के साथ धीरे-धीरे आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया है।
  - यह साझेदारी कुछ निपुण कूटनीतियों के साथ भविष्य की वार्ताओं में भारत को महत्त्वपूर्ण बढ़त प्रदान कर सकती है।
- पाकिस्तान को नियंत्रित करना: कुछ सेवानिवृत्त राजनयिकों का मानना है कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने और चीन व पाकिस्तान (जो अब चीन का सैटेलाइट स्टेट बनने के करीब है) के "गठबंधन" को विफल करने के लिये ताइवान के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाना चाहिये।
- एक्ट ईस्ट नीति और न्यू साउथबाउंड पॉलिसी: वर्तमान परिस्थिति में भारत की एक्ट ईस्ट नीति (जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक जुड़ाव का समर्थन करती है) तथा ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी (जो ताइवान और दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया तथा ऑस्ट्रेलेशिया में 18 देशों के बीच सहयोग एवं विनिमय बढ़ाने का प्रयास करती है।) में समन्वय की काफी संभावना है।
  - गौरतलब है कि दोनों नीतियों का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाना और क्षेत्र में अपने सहयोगियों से राजनीतिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करना है।

ताइवान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लाभ:

ताइवान को मान्यता देना भारत की विदेश नीति के लिये कई अर्थों में लाभदायक होगा।

- लोकतांत्रिक विश्व के नेता के रूप में भारत: ताइवान एक मज़बूत अर्थव्यवस्था के साथ एक ठोस लोकतंत्र है।
  - ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करके भारत लोकतांत्रिक विश्व के नेता के रूप में अपनी छवि को मज़बूत कर सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब वैश्विक मंचों पर अमेरिका की भूमिका कमज़ोर हुई है।
- चीन के साथ गठबंधन का विस्तार: भारत एक नई आपूर्ति श्रृंखला गठबंधन (जिसे हाल ही में भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है) बनाने के अपने प्रयास में अन्य शक्तिशाली सहयोगियों का समर्थन प्राप्त कर सकता है।
  - इसके अलावा नए सदस्यों को शामिल करने के लिये क्वाड समूह का विस्तार किया जा सकता है।
- चीन को उसी की भाषा में उत्तर देना: चीन ने कई बार कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उकसाने का प्रयास किया है।
  - ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंधों को संस्थागत रूप देकर भारत चीन को स्पष्ट संदेश दे सकता है कि यदि वह "वन इंडिया नीति" का सम्मान नहीं करता है, तो भारत भी "वन चाइना नीति" का पालन नहीं करेगा।
  - इसके अलावा ताइवान को मान्यता देने से चीन के लिये यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि आवश्यकता पड़ती है, तो भारत नौपरिवहन सिद्धांत की स्वतंत्रता को लागू करने के लिये विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में नौसैनिक और हवाई सैन्य सहायता भेजने से पीछे नहीं हटेगा।

चुनौतियाँ:

- ताइवान की तरफ भारत की प्रत्येक पहल पर चीन से तीखी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली हैं। चीन की इस आक्रामकता ने भारत और ताइवान के बीच संस्कृति, शिक्षा तथा निवेश के क्षेत्र से परे व्यापक संबंधों के विकास को बाधित किया है।

नोट :

- गौरतलब है कि अभी तक चीन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किये हैं, ऐसे में ताइवान को मान्यता देना भारत के लिये गंभीर चुनौतियों का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिये:
  - चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार साझेदार है और कच्चे माल एवं वस्तुओं के संबंध में वह भारत का प्रमुख निर्यात साझेदार है।
  - फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सक्रिय दवा सामग्री (API), टेलीविज़न, रसायन, कपड़ा और कई तरह के अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की अपनी कुल ज़रूरत का लगभग 40% से अधिक हिस्सा चीन से आयात करता है।
  - एक संभावित प्रतिशोधात्मक कदम के रूप में चीन इन वस्तुओं के निर्यात को रोक सकता है।
  - वह अपने आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क को भी सक्रिय कर सकता है, जो वर्षों तक पूर्वोत्तर में भारत के लिये एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बना रहा।
  - चीन पाकिस्तान के सहयोग से कश्मीर घाटी और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद को तेज़ करने का प्रयास कर सकता है।
  - हालाँकि भारत इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूर्णरूप से सक्षम है, परंतु ये प्रयास देश की शांति व्यवस्था और आर्थिक विकास को कुछ समय के लिये प्रभावित कर सकते हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में इसके गंभीर नकारात्मक परिणाम प्रदर्शित होंगे।

निष्कर्ष:

हालाँकि पिछले कुछ दशकों में चीन और भारत दोनों ने अपनी सैन्य एवं आर्थिक शक्ति में काफी वृद्धि की है परंतु चीन भारत को पछाड़ते हुए स्वयं को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में सफल रहा है और अब उसने एक विस्तारवादी दृष्टिकोण लागू करने के लिये प्रत्यक्ष आक्रामक रवैया अपनाया है। ऐसी स्थिति में ताइवान की स्वायत्तता को वैधता प्रदान करने की पहल को एक आवश्यक कदम माना जा सकता है।

म्याँमार का सैन्य तख्तापलट

संदर्भ:

लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें राज्य का शासन चलाने में नागरिकों की पर्याप्त भागीदारी होती है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनके लिये देश का शासन चलाते हैं।

हालाँकि विश्व के सभी हिस्सों में इस इस आदर्श वाक्य का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका नवीनतम उदाहरण म्याँमार है जहाँ की सेना ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नज़रबंद करने के साथ ही देश में एक वर्ष के लिये आपातकाल की घोषणा करते हुए शासन को अपने हाथ में ले लिया।

इस कठिन परिस्थिति ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत को म्याँमार में लोकतंत्र का समर्थन करना होगा परंतु वर्तमान स्थिति में भारत को अपने सुरक्षा और विकास संबंधी हितों की भी रक्षा करनी होगी।

म्याँमार में तख्तापलट:

म्याँमार की सेना ने देश की स्वतंत्रता (वर्ष 1948) के बाद से तीसरी बार सरकार का तख्तापलट किया है।

- हालाँकि म्याँमार की सेना के अधिकारियों ने अपने बचाव में इसे तख्तापलट मानने से इनकार किया है।
- वर्तमान में शासन की सभी शक्तियों को कमांडर-इन-चीफ मिन आंग ह्लाइंग को स्थानांतरित करते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।

म्याँमार की यातनापूर्ण राजनीति:

- जुंटा का दोहरा मापदंड:
  - वर्ष 2008 में म्याँमार की सेना द्वारा एक नागरिक पार्टी के माध्यम से सत्ता में बने रहने के उद्देश्य से देश का संविधान तैयार किया गया था।

नोट :

- वर्ष 2015 में यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) चुनाव हार गई जिससे सेना को काफी निराशा हुई क्योंकि सेना एक नए लोकतांत्रिक म्याँमार के उदय को लेकर चिंतित थी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की जीत के साथ उभर सकती थी।

- रोहिंग्याओं के प्रति शत्रुता: वर्ष 2020 के चुनाव के पहले सेना ने आतंकवाद से लड़ने के नाम पर देश के रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के लोगों पर एक क्रूर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसने म्याँमार से लगभग 700,000 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को पड़ोसी देशों (मुख्य रूप से बांग्लादेश) में भागने के लिये विवश कर दिया।
- नगण्य विदेशी हस्तक्षेप: म्याँमार ने हमेशा ही किसी भी विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को नगण्य हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हुए स्वयं ही अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने को प्राथमिकता दी है।
  - म्याँमार ने अपनी चुनौतियों पर रणनीति तैयार करने के लिये कुछ एशियाई और पश्चिमी देशों को शामिल कर स्थापित किये गए कई अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों को वर्ष 2015 के चुनाव के बाद भंग कर दिया था।
- विभाजित म्याँमार समुदाय: म्याँमार की सेना देश के लोगों की मानसिकता को अच्छी तरह से समझती है।
  - म्याँमार में बर्मन या बर्मार (बहुसंख्यक समूह) समुदाय और जातीय अल्पसंख्यकों के बीच व्यापक विभाजन है तथा आमतौर देश का अल्पसंख्यक समुदाय एक मज़बूत केंद्र सरकार के विरोध में होता है।
  - हालिया सैन्य तख्तापलट में बर्मन लोग आंग सान सू की के समर्थन में हैं, परंतु इस संदर्भ में उनका निर्णय बदल भी सकता है।
    - म्याँमार का बहुसंख्यक समुदाय बड़े पैमाने पर बौद्ध और शांतिप्रिय है। ऐसे में वे बगैर अधिक प्रतिरोध के इस सैन्य तख्तापलट को स्वीकार भी कर सकते हैं।

म्याँमार संकट से जुड़े मुद्दों का सार:

- म्याँमार में नवंबर 2020 के चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) को एक शानदार विजय प्राप्त हुई, इसमें उसने संघ, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर 82% संसदीय सीटों पर जीत हासिल की।
- सेना समर्थित यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) ने चुनावों में व्यापक धोखाधड़ी होने का दावा किया।
- सेना ने बगैर कोई ठोस सबूत प्रस्तुत किये ही विजयी पार्टी (एनएलडी) को सत्ता से हटा दिया और अधिकांश राजनीतिक नेताओं को हिरासत में ले लिया जिसमें म्याँमार सरकार की वास्तविक प्रमुख (de facto head) आंग सान सू की भी शामिल हैं।
- कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने सैन्य तख्तापलट का विरोध करने के साथ प्रदर्शन करने के लिये सोशल मीडिया का प्रयोग किया।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने म्याँमार में सैन्य तख्तापलट की "विफलता" सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्याप्त दबाव बनाने की बात कही है।
- चीन और रूस ने इस तख्तापलट के प्रति टाल-मटोल वाला रवैया अपनाया है।
- आसियान (ASEAN) ने "बातचीत, सुलह और सामान्य स्थिति में लौटने के लिये एक मौन आह्वान किया, जबकि जापान ने इसे एक तख्तापलट कहा है।
- ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों की धमकी के साथ कड़े बयान जारी किये हैं।
  - अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस सैन्य कार्रवाई को तख्तापलट के रूप में संदर्भित किया है और सेना से "हथियाई गई शक्ति को त्यागने", हिरासत में लिये गए सभी अधिकारियों और अधिवक्ताओं को रिहा करने, दूरसंचार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और हिंसा से बचने का का आह्वान किया है।

म्याँमार राजनीतिक संकट और भारत:

- भारत का रुख:
  - भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में म्याँमार मुद्दे में शामिल हुआ है।
  - तख्तापलट के तुरंत बाद भारत ने म्याँमार की राजनीतिक स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा कानून के शासन को बरकरार रखा जाना चाहिये।

नोट :

- हालाँकि भारत ने म्याँमार के हालिया घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है परंतु म्याँमार की सेना के साथ संबंधों को स्थगित करना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं होगा क्योंकि म्याँमार और उसके पड़ोस के साथ भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा सामरिक हित जुड़े हैं।

भारत के लिये म्याँमार का महत्व:

- भारत-म्याँमार संबंध: भारत और म्याँमार सांस्कृतिक और लोगों के आपसी घनिष्ठ संबंधों से जुड़े हैं, जो व्यापार, आर्थिक, सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विनिमय तक विस्तारित हैं।
- महामारी में म्याँमार को भारत द्वारा दी गई सहायता: भारत ने म्याँमार को दवा, परीक्षण किट और टीके प्रदान कर COVID-19 महामारी से निपटने हेतु सहायता उपलब्ध कराई है।
  - भारत ने इस महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े दुष्प्रभावों को कम करने हेतु म्याँमार के लोगों के लिये अपने मानवीय समर्थन को जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
  - भारत द्वारा इस महामारी से लड़ने में म्याँमार को सहायता देने हेतु कोविशील्ड वैक्सीन की 15 लाख खुराक भी उपलब्ध कराई गई है।
    - म्याँमार ने भारत द्वारा भेजी गई COVID-19 वैक्सीन से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है, जबकि उसने अभी चीन द्वारा भेजी गई 300,000 खुराक को रोककर रखा है।
- पनडुब्बी उपहार: भारत ने किलो-वर्ग (Kilo class) की पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर (UMS Minye Theinkhathu) म्याँमार नौसेना को सौंपी है।
  - भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई यह पनडुब्बी म्याँमार नौसेना की पहली और एकमात्र पनडुब्बी है।
- विदेश नीति: म्याँमार के लिये भारत की सैन्य-राजनयिक आउटरीच एक्ट ईस्ट नीति की आधारशिला बन गई है।
  - पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमाओं को विद्रोही समूहों से सुरक्षित करने में म्याँमार सेना की सहायता तथा अन्य मामलों में द्विपक्षीय सहयोग के कारण म्याँमार की सेना के साथ भारत के सुरक्षा संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गए हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा कदम उठाना भारत के लिये बहुत कठिन होगा जिनकी इन उपलब्धियों के विरुद्ध जाने की संभावना हो।
- आधारभूत संरचना और विकासात्मक परियोजनाएँ: रणनीतिक हितों के अलावा भारत ने म्याँमार के साथ कई बुनियादी ढाँचे और विकास परियोजनाओं पर भी कार्य किया है, जिसे वह आसियान देशों तथा "पूर्व के प्रवेश द्वार"के रूप में देखता है।
  - इनमें भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ सित्वे बंदरगाह (Sittwe Port) पर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की योजना शामिल है।

आगे की राह:

- विभिन्न समुदायों के बीच अंतर को कम करना: म्याँमार के लोगों के बीच सांप्रदायिक विभाजन को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, सही नहीं है।
  - वर्तमान परिदृश्य में सेना जातीय और धार्मिक विभाजन का दोहन करना जारी रखेगी।
  - अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जातीय अल्पसंख्यकों (विशेष रूप से देश के उत्तरी भाग से) सहित घरेलू हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- प्रतिबंधों की धमकी देना समाधान नहीं है: अतीत में भी म्याँमार की सेना हमेशा ही एशियाई देशों के साथ समझौतों के माध्यम से आर्थिक रूप से प्रतिबंधों का मुकाबला करने में सक्षम रही है, ऐसे में म्याँमार पर प्रतिबंध लगाकर किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की उम्मीद करना सही नहीं होगा।
- सेना की आलोचना करने से बचना: भारत कई कारणों से म्याँमार में अवश्य ही बने रहना चाहेगा।
  - कई उग्रवादी समूह म्याँमार में आश्रय प्राप्त करते हैं, जिसका अर्थ है कि भारत को उनका मुकाबला करने के लिये म्याँमार की सहायता की आवश्यकता है।
  - भारत के लिये म्याँमार के साथ जुड़ाव महत्त्वपूर्ण है, ऐसे में इसे म्याँमार के मामलों में सेना की प्रधानता को स्वीकार करते हुए दोतरफा जुड़ाव बनाए रखना होगा।

नोट :

निष्कर्ष:

- एक ऐसा देश जहाँ सैन्य नेतृत्त्व ने अपने शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी हो वहाँ तनाव की संभावना बहुत प्रबल होगी।
  - ऐसे मामलों में घरेलू सेनाएँ और भू-राजनीति अक्सर इस प्रकार के तंत्र के कार्यों और उसके शासन करने के आवेग को रोकने में विफल होती हैं।
- किसी देश में लोकतंत्र को खतरा होने पर भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है।
  - परंतु भारत को वर्तमान में दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपनी नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिये।
  - भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों, मूल्यों, रुचियों और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को सूक्ष्मता से संतुलित करना होगा।

भारत-म्याँमार संबंध

संदर्भ:

म्याँमार में लंबे समय से चला आ रहा सत्ता संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया। म्याँमार की जुंटा या म्याँमार की सेना ने एक सैन्य तख्तापलट में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया है। इसने एक पूर्ण लोकतांत्रिक म्याँमार की स्थापना से जुड़ी दशकों पुरानी उम्मीदों को भी तोड़ दिया है।

चूँकि म्याँमार के लोकतंत्र का भविष्य अब अनिश्चित है, साथ ही इसके सामरिक महत्त्व को देखते हुए इस सैन्य तख्तापलट का दक्षिण एशिया और भारत पर व्यापक भू-राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा।

भारत के लिये म्याँमार का रणनीतिक महत्त्व:

- पृष्ठभूमि: भारत और म्याँमार के संबंधों की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1951 की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद हुई, जिसके बाद वर्ष 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की म्याँमार यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अधिक सार्थक संबंधों की नींव रखी गई।
- बहु-आयामी संबंध: भारत और म्याँमार बंगाल की खाड़ी में एक लंबी भौगोलिक और समुद्री सीमा साझा करने के अलावा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जातीय तथा धार्मिक संबंधों के साथ पारंपरिक रूप से बहुत सी समानताएँ रखते हैं।
- म्याँमार की भू-सामरिक अवस्थिति: भारत के लिये म्याँमार भौगोलिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के भूगोल के केंद्र में अवस्थित है।
  - म्याँमार एकमात्र दक्षिण-पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ थल सीमा साझा करता है, यह सीमा लगभग 1,624 किलोमीटर तक फैली है।
  - दोनों देश बंगाल की खाड़ी में 725 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी साझा करते हैं।
- विदेश नीति सिद्धांतों का संप्रवाह: म्याँमार एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की "नेबरहुड फर्स्ट नीति" और 'एक्ट ईस्ट नीति' दोनों के लिये समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को संचालित करने में म्याँमार एक महत्त्वपूर्ण घटक है और यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने के लिये सेतु का कार्य करता है।
- चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा: यदि भारत एशिया में एक मुखर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है, तो इसे ऐसी नीतियों के विकास की दिशा में काम करना होगा जो पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाने में सहायक हों।
  - हालाँकि इस नीति के कार्यान्वयन में चीन एक बड़ी बाधा है, क्योंकि चीन का लक्ष्य भारत के पड़ोसियों पर इसके प्रभुत्त्व को समाप्त करना है।
  - ऐसे में भारत और चीन दोनों ही म्याँमार पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित करने के लिये एक अप्रत्यक्ष होड़ में शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिये हिंद महासागर हेतु स्थापित अपनी 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीज़न' या सागर (SAGAR) नीति के तहत भारत ने म्याँमार के रखाईन प्रांत में सित्वे बंदरगाह को विकसित किया है।

नोट :

- सित्वे बंदरगाह को म्याँमार में चीन समर्थित क्याउक्प्यू बंदरगाह के लिये भारत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, गौरतलब है कि क्याउक्प्यू बंदरगाह का उद्देश्य रखाईन प्रांत में चीन की भू-रणनीतिक पकड़ को मज़बूत करना है।

- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण: पूर्वोत्तर भारत के राज्य वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों के व्यापार मार्गों (स्वर्णिम त्रिभुज) से प्रभावित हैं।
  - इन चुनौतियों से निपटने के लिये भारत और म्याँमार की सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सनशाइन जैसे कई संयुक्त सैन्य अभियान संचालित किये गए हैं।
- आर्थिक सहयोग: कई भारतीय कंपनियों ने म्याँमार में बुनियादी ढाँचा सहित बहुत से अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापारिक समझौते किये हैं।
  - कुछ अन्य भारतीय कंपनियों जैसे- एस्सार, गेल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh Ltd.) ने म्याँमार के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया है।
  - भारत ने अपने "मेड इन इंडिया"रक्षा उद्योग और सैन्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक प्रमुख घटक के रूप में म्याँमार की पहचान की है।

म्याँमार के सैन्य तख्तापलट का भारत पर प्रभाव:

- राजनीतिक पुनर्निर्धारण: म्याँमार के सैन्य तख्तापलट को लेकर विश्व के अधिकांश देशों से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों से म्याँमार पर प्रतिबंधों का जोखिम भी बढ़ गया है।
  - पश्चिमी देशों से प्रतिबंध का यह जोखिम म्याँमार की सेना को चीन के करीब जाने के लिये विवश कर सकता है, जो भारत के हित में नहीं होगा।
  - इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोस में एक विफल म्याँमार राज्य या चीन के चंगुल में फँसा एक कमज़ोर म्याँमार इस क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप को बढ़ा सकता है।
- रोहिंग्या मुद्दे की अनदेखी: म्याँमार में लोकतंत्र को बहाल करने के किसी भी प्रयास के लिये आंग सान सू की को समर्थन देने की आवश्यकता होगी। हालाँकि रोहिंग्या संकट पर आंग सान सू की का तटस्थ बने रहना असहाय रोहिंग्या समुदाय की दुर्दशा के मुद्दे को पीछे धकेल सकता है या बहुत आसानी से उनकी चुनौतियों को भुला दिया जा सकता है।
  - यह पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा हित की दृष्टि से सही नहीं होगा।
- भारत के लिये एक जटिल चुनौती: हालाँकि नई परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रीय हित स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ पक्ष से संबंध स्थापित करने में ही हैं, परंतु अमेरिका और पश्चिमी देशों के कड़े रुख को देखते हुए भारत के लिये खुले तौर पर जुंटा सरकार को समर्थन देना कठिन होगा।

आगे की राह:

- सांस्कृतिक कूटनीति: पर्यटन की दृष्टि से म्याँमार में बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत की धार्मिक कूटनीति का संचालन करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
  - भारत की "बौद्ध सर्किट" पहल, जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों को जोड़कर विदेशी पर्यटकों के आगमन और राजस्व को दोगुना करना है, बौद्ध-बहुल म्याँमार के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प हो सकता है।
  - यह म्याँमार जैसे बौद्ध-बहुल देशों के साथ सद्भावना और विश्वास के क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक पकड़ को मज़बूत कर सकता है।
- कनेक्टिविटी में सुधार: भारत को यह समझना चाहिये कि वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में म्याँमार एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
  - अत: भारत-म्याँमार के आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने में कनेक्टिविटी की केंद्रीय भूमिका होगी।
  - इस संदर्भ में भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट (KMMTT) जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिये।

नोट :

- रोहिंग्या मुद्दे का समाधान: रोहिंग्या मुद्दे को जितनी जल्दी सुलझाया जाता है, यह भारत के लिये म्याँमार और बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों तथा उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उतना ही आसान होगा।
- बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग: आखिर में आसियान और बिम्सटेक जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को बढ़ावा देना दोनों देशों के संबंधों को मज़बूती प्रदान करने में सहायक होगा।

निष्कर्ष:

म्याँमार के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए इसका (म्याँमार) एक स्थिर और स्वायत्त देश के रूप में खड़े होना ही भारत के भू-रणनीतिक हित में है, जिससे भारत-म्याँमार संबंधों में अधिक -से-अधिक द्विपक्षीय जुड़ाव को संभव बनाया जा सके।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ

संदर्भ:

पिछले कुछ वर्षों में यह देखना बेहद उत्साहजनक रहा है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी और अभिनव उपकरणों का एकीकरण सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बना सकता है। इंडिया स्टैक और JAM (जन-धन, आधार और मोबाइल) के विकास को इसके उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

इसी प्रकार COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में तीव्र डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

हाल ही में लॉन्च किया गया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डालता है।

इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक रोगों के इलाज की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है और वर्तमान में विश्वभर में डॉक्टरों की भारी कमी भी देखी गई है। ऐसे में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ सभी के लिये स्वास्थ्य सेवा पहुँच के लक्ष्य को पूरा करने हेतु आवश्यक रूपांतरण को लागू करने में सहयोग कर सकती हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन:

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को साकार करने के लिये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) का शुभारंभ किया गया था।
- NDHM एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र है। इस डिजिटल मंच को चार प्रमुख पहलों: हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री से साथ लॉन्च किया जाएगा।
- NDHM को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- NDHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के दिशानिर्देशों में से एक का सार्थक रूप है, जिसके तहत एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी इको-सिस्टम के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।
- यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है जो नेशनल हेल्थ स्टैक (National Health Stack-NHS) के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु डिजिटल उपकरणों के माध्यम से
- स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न बिंदुओं (जैसे स्वास्थ्य सूचना प्रदाता , स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्त्ता और सहमति प्रबंधक आदि) को जोड़ना है।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ:

- महामारी के प्रसार की निगरानी: स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से डेटा को एकत्र करने और उसे साझा करने की प्रक्रिया में काफी तेज़ी आएगी जिससे किसी संक्रामक बीमारी के मामले में एक बार डेटा उपलब्ध होने (रिकॉर्ड और विश्लेषण के लिये) के बाद, यह प्रणाली को बीमारी के संचरण तथा भू-स्थानिक कवरेज़ के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकती है।
  - डीप लर्निंग और क्लाउड इमरजेंसी रिस्पांस एल्गोरिदम जैसे डिजिटल टूल के अभिनव प्रयोग ने इस महामारी के दौरान अस्पतालों के आपातकालीन कक्ष में कार्य कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को काफी सहायता प्रदान की है।
- रोगी के अनुकूल स्वास्थ्य प्रणाली: स्वास्थ्य प्रणाली के सभी पहलुओं के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों की तैनाती से इनमें होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी लागत में भी कमी आएगी।
  - स्वास्थ्य सेवा का डिजिटल रूपांतरण वर्तमान में संसाधनों की सीमित उपलब्धता, एक विविध जनसांख्यिकीय मिश्रण और चिकित्सा पहुँच बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता जैसे मुद्दों को संबोधित करने के प्रयासों की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है।

नोट :

- निवारक देखभाल: उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ न केवल नई दवाओं के विकास में तेज़ी लाती हैं, परंतु कई मामलों में वे पूरी तरह से ही चिकित्सा की एक नई श्रेणी भी प्रस्तुत करती हैं, जैसे-डिजिटल थेरेप्यूटिक्स (DTx)।
  - DTx सॉफ्टवेयर-आधारित समाधान हैं जो जीवन शैली से संबंधित बीमारी या विकार का इलाज कर सकते हैं।
  - इस प्रकार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का स्वास्थ्य देखभाल के वितरण पर एक व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है और यह उपचार से हटकर बचाव के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र की अगली चुनौती से निपटने का अवसर प्रदान करती है।
- नैदानिक परीक्षण में सहायक: डिजिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में डेटा की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है जो नमूनों के विश्लेषण में सहायक होगा और इसी प्रकार छवियों का उपयोग बेहतर नैदानिक निर्णय लेने के लिये किया जा सकता है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- ऑनलाइन धोखाधड़ी का जोखिम: स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच का अभाव और स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति लोगों के विश्वास में हो रही कमी उन्हें अयोग्य चिकित्सा और ऑनलाइन चिकित्सा धोखाधड़ी की ओर मोड़ सकती है।
- स्वास्थ्य साक्षरता का मुद्दा: डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बावजूद, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विकास स्वास्थ्य साक्षरता पर भी निर्भर है।
  - कम स्वास्थ्य साक्षरता स्तर वाले लोग आम तौर पर स्वास्थ्य के संदर्भ में बदतर स्थिति में होते हैं, साथ ही वे डॉक्टरों के पास अधिक जाते हैं और रोकथाम तकनीकों का उपयोग कम करते हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो ऐसे लोग स्वास्थ्य प्रणाली के आर्थिक भार को बढ़ाते हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्तिगत खर्च: पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल से डिजिटल स्वास्थ्य की ओर बढ़ने से पहले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिये अयोग्य चिकित्सकों द्वारा तर्कहीन उपचार प्राप्त करने, उपयुक्त चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच, दवा उपलब्ध कराने और उच्च लागत के निदान हेतु भुगतान की असमर्थता जैसी चुनौतियों को संबोधित करना आवाश्यक है।
  - जब तक बाह्य रोगी उपचार की लागतों को कम नहीं किया जाता है, तब तक किसी मरीज़ को अस्पताल में भर्ती करने से पहले होने वाले भारी व्यक्तिगत खर्च की चुनौती बनी रहेगी।
- डेटा का दुरुपयोग: डिजिटल हेल्थकेयर को अपनाने से पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ सुरक्षात्मक उपायों को अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में डिजिटल डेटा का दुरुपयोग न होने पाए।

निष्कर्ष:

डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की अवधारणा एक बड़ा वैचारिक बदलाव है कि किस प्रकार व्यापक बदलावकारी प्रौद्योगिकियाँ, जो देखभाल प्रदाता तथा मरीज़ दोनों को डिजिटल एवं वस्तुनिष्ठ डेटा की सुलभ पहुँच प्रदान करने के माध्यम से साझा निर्णय लेने के साथ एक समान स्तर के डॉक्टर-रोगी संबंध व स्वास्थ्य देखभाल के लोकतंत्रीकरण की ओर ले जाता है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और प्रौद्योगिकी

संदर्भ:

पुलिस बलों की जनता के बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। वे नागरिकों के दैनिक जीवन को बाधित किये बगैर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होते हैं। पुलिस बलों को अक्सर नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और उनके दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पुलिस के लिये एक बड़ी आबादी के बीच निरंतर संभावित खतरों की निगरानी करना भी एक चुनौती रही है। भारत में जनसंख्या और पुलिस का अनुपात प्रति 100,000 आबादी पर लगभग 150 से कम है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की सिफारिश के अनुसार, यह अनुपात प्रति 100,000 आबादी पर 222 पुलिस बल होना चाहिये।

हालाँकि अधिक पुलिस का अर्थ अपराध में कमी नहीं है, परंतु यह वर्तमान आधुनिक विश्व में प्रौद्योगिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) को उनके कर्तव्यों के बेहतर ढंग से निर्वहन और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त उनके दैनिक कार्यों या अभियानों में प्रौद्योगिकी एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है।

नोट :

कानून प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी का लाभ:

- नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग: भारत में अधिकांश नागरिक पुलिस स्टेशन जाने से बचते हैं। प्रौद्योगिकी पुलिस-नागरिक संबंधों में सुधार लाने में सहायक हो सकती है। उदाहरण के लिये:
  - डिजिटल पोर्टल नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने और उनकी शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने के लिये एक आसान तथा पारदर्शी तंत्र भी प्रदान करते हैं।
- सोशल मीडिया का प्रयोग: सोशल मीडिया इंटरैक्शन के सकारात्मक प्रभाव (नागरिकों को पहले ही अलर्ट भेजने में सहायक) और नकारात्मक प्रभाव (नागरिक सोशल मीडिया पेज/हैंडल का उपयोग केवल वही जानकारी प्राप्त करने के लिये करते हैं, जिसे वे देखना या सुनना पसंद करते हैं।) दोनों हो सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग नागरिकों तक सीधे पहुँचने के लिये किया जा सकता है, जैसे- ट्रैफिक जाम के बारे में जानकारी प्रदान करना, साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरूकता, अफवाह रोकने, फेक न्यूज़ का मुकाबला करने आदि के लिये।
- अपराध का पता लगाने हेतु: प्रौद्योगिकी अपराधियों के डिजिटल फुटप्रिंट प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायक हो सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग उँगलियों के निशान और छवियों का मिलान करने, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने तथा वाहन की नंबर प्लेट को पहचानने के लिये किया जा सकता है।
  - विभिन्न स्रोतों जैसे कि सोशल मीडिया टूल्स, वित्तीय संस्थानों, यात्रा रिकॉर्ड, होटल प्रवास, फोन और आपराधिक रिकॉर्ड जैसे डेटा को एकीकृत कर बिग डेटा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।
- अपराध की रोकथाम: अपराधों की रोकथाम में बिग डेटा एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसका उपयोग अपराध पैटर्न और हॉट स्पॉट की पहचान करने के लिये किया जा सकता है। इसी तरह अपराध के प्रकार, समय और स्थान के बीच संबंध स्थापित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग किया जा सकता है।
- दक्षता में सुधार: सुरक्षा एजेंसियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पोस्टिंग से जुड़े अंतराल को संबोधित करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे एक अधिक 'संतुलित' और 'प्रभावी' संगठन की स्थापना सुनिश्चित की जा सकेगी।
  - इसी प्रकार मुख्य प्रदर्शन संकेतकों जैसे कि चार्जशीट दायर करने और शिकायतों को संबोधित करने हेतु लिया गया समय, हल किये गए अपराधों के प्रकार तथा नागरिक प्रतिक्रिया स्कोर का उपयोग बेहतर और तार्किक ढंग से अधिकारियों के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिये किया जा सकता है।
- रियल टाइम इंटीग्रेशन: 'पुलिस, अदालत, अभियोजन, जेल और फोरेंसिक' आपराधिक न्याय प्रणाली के पाँच स्तंभ हैं। इन संस्थानों के बीच फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अनगिनत मानव-वर्ष (कार्यदिवस के संदर्भ में) नष्ट हो जाते हैं।
  - इन स्तंभों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बीच रियल टाइम इंटीग्रेशन से डुप्लिकेट डेटा प्रविष्टि और त्रुटियों को कम करने में सहायता प्राप्त होगी।
  - यह हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में वृद्धि करेगा और साथ ही न्याय प्रदान करने में लगने वाले समय को काफी कम कर देगा।

आगे की राह:

- पुलिस सुधार: प्रौद्योगिकी का प्रयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्य में कई प्रकार से सहायक हो सकता है, परंतु यह इनके मानवीय पहलू को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।
  - अत: प्रौद्योगिकी को अपनाने के साथ-साथ काफी समय से लंबित पुलिस सुधारों पर भी कार्य किया जाना चाहिये।
- प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभावों से निपटना: प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये गोपनीयता, पुलिस बनाम समुदाय की चिंताओं, डेटा प्रतिधारण और सार्वजनिक प्रकटीकरण नीतियों तथा वित्तीय निवेश जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
  - यह सरकार का कर्तव्य है कि वह 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' और 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018' के अधिनियमन में तेज़ी लाए।

नोट :

- इसके अलावा, इन मुद्दों के बारे में बहस और विचार-विमर्श को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिये।

- डिजिटल ट्रस्ट फ्रेमवर्क: डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के साथ ही डिजिटल नैतिकता को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जो कि एक व्यापक ढाँचा/रूपरेखा प्रदान करती है और जिसके तहत समाज में डिजिटल प्रोद्योगिकी के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग, डेटा पारदर्शिता और डिजिटल नैतिकता शामिल होती है।

निष्कर्ष:

नई डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ पुलिस द्वारा नागरिकों को सुरक्षा और सेवा प्रदान करने के तरीकों को बदल रही हैं, ये सुरक्षा एजेंसियों को अपराधों को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने तथा तेज़ी से हल करने में सहायता प्रदान करती हैं। वर्तमान में विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन में सहायता करने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के साथ उन्हें अपनाए जाने (भारतीय परिवेश की अनुकूलता के आधार पर) की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

चमोली फ्लैश फ्लड

संदर्भ:

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमनद टूटने की घटना को मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी संतुलन के लिये उत्पन्न हो रहे व्यवधान की एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार वर्ष 2013 में भी एक हिमनद झील के टूटने के कारण आए फ्लैश फ्लड (Flash Flood) ने केदारनाथ पवित्र स्थल को तहस-नहस कर दिया था।

विश्व के किसी हिस्से में एक दशक से भी कम समय में एक ही क्षेत्र में ऐसी दो बड़ी आपदाएँ बहुत ही असामान्य प्रतीत होती हैं । वर्तमान में यह बताने हेतु पर्याप्त वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध है कि हिमनद पिघलने के कारण गंभीर फ्लैश फ्लड की बढ़ती घटनाओं के लिये जलवायु परिवर्तन उत्तरदायी है। हालाँकि फ्लैश फ्लड के कारण लगातार आपदा की घटनाओं के लिये जलवायु परिवर्तन के अलावा पर्यावरणीय-प्रतिकूल विकास गतिविधियों में आई अचानक तेज़ी भी एक प्रमुख कारक रही है।

जलवायु संकट और फ्लैश फ्लड:

- काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि विश्व के सभी देश तापमान वृद्धि को पेरिस जलवायु समझौते (Paris Climate Agreement) के अनुरूप 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के भीतर रखने में सफल रहते हैं परंतु फिर भी वर्ष 2100 के अंत तक हिंदू-कुश हिमालयी क्षेत्र में हिमनद का 36% हिस्सा समाप्त जाएगा।
- इसी प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के आँकड़ों से पता चलता है कि इस सदी के पहले 20 वर्षों में ग्लेशियरों के पिघलने की दर में वृद्धि देखने को मिली है।
- गंगा ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने के कारण उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में बाँग्लादेश तक फैले गंगा नदी बेसिन में रहने वाले लगभग 600 मिलियन लोगों की आजीविका प्रभावित होगी।

फ्लैश फ्लड्स: एक मानव निर्मित आपदा:

- हिमालय, एक अस्थिर पर्वत प्रणाली:
  - हिमालय एक युवा और अस्थिर पर्वत प्रणाली है, यहाँ तक कि इसकी चट्टानों के अभिविन्यास में मामूली बदलाव भी भूस्खलन का कारण बन सकता है।
  - इसके बावजूद हिमालय क्षेत्र में निर्माणाधीन बाँधों के लिये उच्च तीव्रता के साथ पत्थर खनन, पहाड़ों में ब्लास्टिंग और संवेदनशील पर्वत प्रणाली में सुरंगों की खुदाई लगातार की जा रही है।
- पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी:
  - इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय मानदंडों की अनदेखी करते हुए पनबिजली से संबंधित बाँधों और चौड़ी सड़कों के निर्माण के कारण मध्य हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में वन आवरण और स्थानीय पारिस्थितिकी को पहुँच रहे नुकसान की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।
  - उत्तराखंड के ऊपरी भाग, जो गंगा की सहायक कई छोटी नदी प्रणालियों का उद्गम क्षेत्र है, में पहले से ही 16 बाँध सक्रिय हैं और अन्य 13 बाँध अभी निर्माणाधीन हैं।
  - राज्य सरकार ने इन नदियों की जल ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिये 54 नए बाँध प्रस्तावित किये हैं।
- हाइड्रोपावर, पूर्णरूप से ग्रीन प्रोजेक्ट नहीं: हाइड्रोपावर एक कम उत्सर्जन वाला ऊर्जा स्रोत है, परंतु इनके डिज़ाइन के कारण ये परियोजनाएँ पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिये नदी के प्रवाह को मोड़ दिया जाता है और यह नदी की पारिस्थितिकी को नष्ट कर देता है।

नोट :

- बाँध बनाते समय होने वाली ब्लास्टिंग और टनलिंग के कारण पहाड़ के झरने जो कि पीने तथा कृषि के लिये जल उपलब्ध कराते हैं, सूख जाते हैं।

नोट:

- रन ऑफ द रिवर (Run of the River- ROR) परियोजनाओं को उच्च क्षमता वाली बाँध जल विद्युत परियोजनाओं के 'हरित' विकल्प के रूप में देखा जाता है। जैसे-टिहरी जलविद्युत परियोजना।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि एक ROR बाँध में विद्युत उत्पादन हेतु नदी के प्रवाह को नियंत्रित वातावरण में मोड़ा जाता है और जल को पुन: नदी में वापस छोड़ दिया जाता है, जबकि एक पारंपरिक बाँध परियोजना में नदी के जल को एक जलाशय मेंसंग्रहीत किया जाता है।

आगे की राह:

- संवेदनशील क्षेत्रों के लिये व्यापक रूपरेखा: हिमालयी क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की बढ़ती आवृत्ति को देखते हुए मज़बूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अवसंरचना विकास, निर्माण और संवेदनशील क्षेत्रों में खुदाई के लिये एक व्यापक रूपरेखा विकसित की जानी चाहिये।
- हाइड्रोपावर विकल्पों की पुनर्समीक्षा: जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की एक रिपोर्ट में प्रकाशित आकलन के अनुसार, जलवायु संकट ने विश्व भर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की आवृत्ति और प्रभाव में वृद्धि की है।
  - अत: वर्तमान परिस्थिति में चोपड़ा समिति (Chopra Committee) की सिफारिशों का अनुसरण करने की आवश्यकता है, जिसने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स (HEPs) पर ग्लेशियरों के प्रभाव का अध्ययन किया और पैराग्लाइकियल क्षेत्रों (समुद्र तल से 2,200 से 2,500 मीटर के बीच) में HEPs के निर्माण पर आपत्ति जताई।
  - इसलिये जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से पहले उनके लाभ और दुष्प्रभावों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिये।
  - इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे अन्य विकल्पों को उन्नति के हरित विकास मॉडल के रूप में अपनाया जाना चाहिये।
- एनडीएमए दिशा-निर्देशों का पालन करना: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए (NDMA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आवास का निर्माण निषिद्ध होना चाहिये।
  - हिमनद झील बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निर्माण और विकास को प्रतिबंधित करना, बिना किसी लागत के जोखिम को कम करने का एक बहुत ही कुशल साधन है।
- हिमनद झीलों पर शोध: यह समझने के लिये एक विस्तृत परियोजना विश्लेषण किया जाना चाहिये कि उत्तराखंड की लगभग 12,000 हिमनद झीलों में से कितनों की बाढ़ प्रवणता का खतरा है।
  - ऐसे शोध से प्राप्त जानकारियों का उपयोग पर्यावरण प्रभाव आकलन और इन क्षेत्रों में विकासात्मक परियोजनाओं से जुड़े निर्णयों के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

- चमोली की हालिया हिमनद झील त्रासदी के कारणों का पता आने वाले दिनों में ही चल पाएगा परंतु इसमें कोई संशय नहीं है कि यदि इस क्षेत्र में परियोजनाओं का विकास अधिक विवेकपूर्ण ढंग से किया गया होता तो इस त्रासदी का प्रभाव बहुत कम होता। नीति निर्माताओं को यह समझना चाहिये कि 'आज नुकसान पहुँचाना और कल मरम्मत करने की धारणा' हिमालयी क्षेत्र के स्थायी विकास का विकल्प नहीं हो सकती है।

नोट :